

तारीख
पुस्तक

द्वयम या कार्यवाही मय द्विविधित्वस्त ज्ञात

अभिलेख न तारीख
आवकाश जो पुस्तक
पुस्तक की तारीख
में जारी हुए

राज श्रीमान् ए. सी. एम्. / एस. डी. एम्.
साहब दोरे / अवकाश पर हैं ।
पेशी इत्यादि की जाकर पत्रावली
तारीख 14/11/25 को पेश हुई ।

30/11/25

राज श्रीमान् ए. सी. एम्. / एस. डी. एम्.
साहब दोरे / अवकाश पर हैं ।
पेशी इत्यादि की जाकर पत्रावली
तारीख 16/12/25 को पेश हुई ।

14/11/25

12/11/25 पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी के द्वारा पत्रावली के अजाबजान की तस्वीरें भेजी गईं जिनमें से एक में तारीख 07/01/25 की पत्रावली काटने की बात लिखी है।

07/2025

01/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अजाबजान संख्या 1/2025 की अंतर्गत प्रार्थी द्वारा पेश की गई पत्रावली में 07/01/25 की पत्रावली काटने की बात लिखी है।

30/11/25

राज श्रीमान् ए. सी. एम्. / एस. डी. एम्.
साहब दोरे / अवकाश पर हैं ।
पेशी इत्यादि की जाकर पत्रावली
तारीख 30/11/25 को पेश हुई ।

13/12/25

13/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तहत बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अप्रुक्तीय शक्ति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत द्वारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व

| | |

3
तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

में दिनांक 01.06.2022 को जारी अस्थायी निवेधाना
को मूल बाह वै निस्तारण तक कन्फर्म किया
जाता है। यज्ञवती चैसल कुमार होकर उर्ज नम्बर
से कम होकर बाह तकमील हाखिल इफतर है।
निर्णय आज दिनांक 03.03.2028 को मेरे
द्वारा लिखा जाकर सरे- बजलास सुनाया गया।

03/3/28
(सुखाराम फिरोज)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)